

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4732

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

उत्तर प्रदेश में विद्युत की मांग और आपूर्ति

4732. श्रीमती रुचि वीरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में विशेषकर अधिकतम मांग वाले मौसम के दौरान विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में इसकी मांग और आपूर्ति के वर्तमान आंकड़े क्या हैं;

(ग) इस अंतर को पाटने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निरंतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई दीर्घकालिक अवसंरचना स्थापित की जा रही है/की गई है अथवा नीतिगत पहल की जा रही है और यदि हां, तो ऐसी पहलों के कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले, विशेषकर मुरादाबाद जिले में विद्युत की वास्तविक मांग और आपूर्ति तथा औसत दैनिक बिजली कटौती (कटौती का समय) कितनी है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश की विद्युत आपूर्ति की स्थिति **अनुबंध-I** पर दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष 2025 के अप्रैल से जून के दौरान राज्य की मासिक विद्युत आपूर्ति की स्थिति **अनुबंध-II** पर दी गई है। ये विवरण दर्शाते हैं कि राज्यों में आपूर्ति की गई ऊर्जा लगभग ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप रही है। उत्तर प्रदेश में विद्युत की मांग और उपलब्धता के बीच का अंतर 2022-23 के दौरान 0.8% से घटकर वर्तमान वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) में लगभग शून्य हो गया है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में निरंतर एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

1. उत्पादन योजना:

(i) राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। इसमें पारंपरिक स्रोतों - कोयला, लिंगाइट आदि, और नवीकरणीय स्रोतों - सौर, पवन और जलविद्युत से प्राप्त क्षमता शामिल है।

- (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित अधिकतम मांग से अधिक बनी रहे सभी राज्यों ने सीईए के साथ परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएँ (आरएपी)" तैयार की हैं, जो परिवर्तनशील 10 वर्षीय रोलिंग योजनाएँ हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत क्रय योजना भी शामिल है।
- (iii) सभी राज्यों को उनकी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमता सृजित करने की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी गई है।
- (iv) विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम की शुरूआत की है:
 - (क) वर्ष 2034-35 तक अनुमानित ताप (कोयला और लिंगनाइट) क्षमता आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट है, जबकि दिनांक 31.03.2023 तक संस्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त न्यूनतम **97,000 मेगावाट** कोयला और लिंगनाइट आधारित ताप क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की है।

विभिन्न पहले पूर्व में ही शुरू की जा चुकी हैं। अप्रैल, 2023 से जून, 2025 तक लगभग 11,680 मेगावाट की ताप क्षमताएँ पहले ही शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा, 38,935 मेगावाट (5,695 मेगावाट की संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं सहित) ताप क्षमता वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, वित वर्ष 2024-25 में 15,440 मेगावाट ताप क्षमता के लिए संविदा अवार्ड की जा चुकी हैं और इनका निर्माण कार्य पूरा होना है। देश में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए, 35,460 मेगावाट कोयला और लिंगनाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो नियोजन के विभिन्न चरणों में है।

उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन केन्द्रीय क्षेत्र ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची **अनुबंध-III** पर दी गई है।

(ख) 13,463.5 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 9802 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाएँ नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) 6,600 मेगावाट परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) 74,150 मेगावाट सौर, 30,080 मेगावाट पवन और 53,750 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 1,58,450 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 46,010 मेगावाट सौर और 15,990 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 62,000 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता, योजना के विभिन्न चरणों में है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 8250 मेगावाट/49500 मेगावाट घंटा क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 5780 मेगावाट/34680 मेगावाट घंटा क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) स्वीकृत हैं और अभी निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है। इनमें से 3500 मेगावाट/21000 मेगावाट घंटा क्षमता की पंप

भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) बोली प्रक्रिया में हैं और 15,829 मेगावाट/51,106 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) वर्तमान में निर्माण/बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

2. **पारेषण योजना:** अंतर-राज्यीय और अंतः राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता संवर्धन के अनुरूप समय-सीमा में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1274 जीवीए परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 17,915.6 सीकेएम पारेषण लाइनें और 95.5 जीवीए परिवर्तन क्षमता शामिल हैं।

3. **वितरण प्रणाली योजना:**

भारत सरकार ने पहले भी दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने में मदद की है, जहाँ 1.85 लाख करोड़ रुपये की वितरण अवसंरचना परियोजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं। वर्तमान में, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत 2.82 लाख करोड़ रुपये के अवसंरचना कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 40,739 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ शामिल हैं।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, वित वर्ष 2025 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटों में सुधार होकर क्रमशः 22.6 घंटे और 23.4 घंटे हो गए हैं।

4. **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का संवर्धन:**

- (i) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित वर्ष 2023-24 से वित वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) द्वारा 50 गीगावाट/वर्ष की आरई विद्युत क्रय बोलियां जारी करने के लिए बोली ट्रेजेक्टरी जारी की है।
- (ii) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- (iii) दिनांक 30 जून, 2025 तक शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु दिसंबर, 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए और दिसंबर, 2032 तक अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभार माफ कर दिए गए हैं।
- (iv) नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के बाद वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) की रूपरेखा अधिसूचित की गई है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सभी अभिनामित उपभोक्ताओं पर प्रयोज्य आरसीओ का अनुपालन न करने पर शास्त्रियां लगाई जाएंगी। आरसीओ में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खपत की विनिर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।

- (v) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म एवं डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- (vi) प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत नई सौर विद्युत स्कीम (आदिवासी और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) जैसी स्कीमें अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्कीम शुरू की गई है।
- (vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने हेतु सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम क्रियान्वित की जा रही है।
- (viii) नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करने को वित पोषित किया गया है।
- (ix) “अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कार्यनीति” जारी की गई है।
- (x) तीव्र नवीकरणीय ऊर्जा ट्रेजेक्टरी के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।
- (xi) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) शुरू किया गया है।
- (xii) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को लागू कर रही है। इससे उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट (जीडब्ल्यू) स्केल की विनिर्माण क्षमता प्राप्त होगी।

(ङ) : विद्युत एक समर्वती विषय होने के कारण, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं/क्षेत्रों/जिलों को विद्युत आपूर्ति और वितरण, संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अतिरिक्त, विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करेगा। तथापि, आयोग कृषि जैसे कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं।

राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मुरादाबाद जिले सहित उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत दैनिक घंटों का विवरण अनुबंध-IV में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश की विद्युत आपूर्ति स्थिति।

वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	%
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	
2022-23	1,44,251	1,43,050	1,201	0.8
2023-24	1,48,791	1,48,287	504	0.3
2024-25	1,65,090	1,64,786	304	0.2
2025-26 (जून, 2025 तक)	46,028	46,022	6	0.0

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4732
अनुबंध-II

वर्तमान वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की माहवार विद्युत आपूर्ति स्थिति।

वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	%
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	
अप्रैल, 2025	13,075	13,072	3	0.0
मई, 2025	16,117	16,117	0	0.0
जून, 2025	16,837	16,833	4	0.0

उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन केन्द्रीय क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची:

क्रम सं.	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	कमीशनिंग की अनुमानित तिथि
1	खुर्जा एससीटीपीपी (टीएचडीसी)	यू-2	660	अगस्त-25
2	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	यू-2	660	सितंबर-25
3	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	यू-3	660	दिसंबर-25
4	सिंगरौली एसटीपीपी, चरण-III (एनटीपीसी)	यू-8	800	मई-29
5	सिंगरौली एसटीपीपी, चरण-III (एनटीपीसी)	यू-9	800	फरवरी-30

एससीटीपीपी: सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट

टीएचडीसी: टिहरी हाइड्रो डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन

एनयूपीपीएल: नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड

एसटीपीपी: सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट

एस० एल० डी० सी० स्तर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय में औसत विद्युत आपूर्ति के घण्टे (मई 2025)

क्रम सं०	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र (निर्धारित 18:00 घण्टे)		नगर पंचायत मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24:00 घण्टे)	
		आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे
1	प्रयागराज	18:29	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
2	बलिया	18:29	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
3	देवरिया	18:29	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
4	वाराणसी	18:29	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
5	कुशीनगर	18:29	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
6	भद्रोही	18:36	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
7	गाजीपुर	18:36	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
8	मऊ	18:36	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
9	सन्तकबीर नगर	18:36	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
10	सोनभद्र	18:36	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
11	आजमगढ़	18:33	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
12	कौशाली	18:33	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
13	महाराजगंज	18:33	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
14	सिद्धार्थनगर	18:33	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
15	प्रतापगढ़	18:33	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
16	बस्ती	18:38	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
17	चन्दौली	18:38	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
18	फतेहपुर	18:38	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
19	गोरखपुर	18:38	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
20	मिर्जापुर	18:38	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
21	जौनपुर	18:38	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
22	अम्बेडकरनगर	18:36	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
23	गोण्डा	18:36	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
24	लखीमपुरखीरी	18:36	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
25	शाहजहांपुर	18:36	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
26	सीतापुर	18:36	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
27	बहराइच	18:41	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
28	बाराबंकी	18:41	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
29	बदायूं	18:41	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
30	पीलीभीत	18:41	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
31	उन्नाव	18:41	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
32	अमेठी	18:33	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
33	हरदोई	18:33	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
34	रायबरेली	18:33	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
35	श्रावस्ती	18:33	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
36	बलरामपुर	18:38	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
37	बरेली	18:38	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
38	अयोध्या	18:38	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-

एस० एल० डी० सी० स्तर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय में औसत विद्युत आपूर्ति के घण्टे (मई 2025)

क्रम सं०	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र (निर्धारित 18:00 घण्टे)		नगर पंचायत मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24:00 घण्टे)	
		आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे
39	लखनऊ	18:38	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
40	सुल्तानपुर	18:38	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
41	आगरा	18:36	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
42	ओरैया	18:36	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
43	फिरोजाबाद	18:36	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
44	कानपुर	18:36	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
45	इटावा	18:39	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
46	हाथरस	18:39	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
47	कासगंज	18:39	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
48	मथुरा	18:39	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
49	अलीगढ़	18:34	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
50	फर्रुखाबाद	18:34	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
51	मैनपुरी	18:34	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
52	एटा	18:36	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
53	कानपुर देहात	18:36	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
54	कन्नौज	18:36	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
55	अमरोहा	18:39	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
56	बिजनौर	18:39	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
57	रामपुर	18:40	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
58	सम्मल	18:40	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
59	मुरादाबाद	18:40	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
60	सहारनपुर	18:39	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
	एन०सी०आर० क्षेत्र (निर्धारित 24:00 घण्टे)								
61	गौतमबुद्धनगर	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
62	हापुड़	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
63	मुजफ्फरनगर	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
64	शामली	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
65	बागपत	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
66	बुलन्दशहर	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
67	गाजियाबाद	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
68	मेरठ	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
	बुन्देलखण्ड क्षेत्र (ग्रामीण निर्धारित 20:00 घण्टे)								
69	हमीरपुर	20:10	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
70	महोबा	20:10	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
71	चित्रकूट	20:10	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
72	बान्दा	20:14	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
73	झांसी	20:14	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-

एस० एल० डी० सी० स्तर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय में औसत विद्युत आपूर्ति के घण्टे (मई 2025)

क्रम सं०	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र (निर्धारित 18:00 घण्टे)		नगर पंचायत मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24:00 घण्टे)	
		आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे
74	जालौन	20:14	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
75	ललितपुर	20:14	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-

एस० एल० डी० सी० स्तर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय में औसत विद्युत आपूर्ति के घण्टे (जून 2025)

क्रम सं०	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र (निर्धारित 18:00 घण्टे)		नगर पंचायत मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24:00 घण्टे)	
		आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे
1	प्रयागराज	18:25	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
2	बलिया	18:25	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
3	देवरिया	18:25	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
4	वाराणसी	18:25	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
5	कुशीनगर	18:25	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
6	भद्रोही	18:36	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
7	गाजीपुर	18:36	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
8	मऊ	18:36	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
9	सन्तकबीर नगर	18:36	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
10	सोनभद्र	18:36	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
11	आजमगढ़	18:34	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
12	कौशाम्बी	18:34	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
13	महाराजगंज	18:34	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
14	सिद्धार्थनगर	18:34	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
15	प्रतापगढ़	18:34	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
16	बस्ती	18:39	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
17	चन्दौली	18:39	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
18	फतेहपुर	18:39	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
19	गोरखपुर	18:39	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
20	मिर्जापुर	18:39	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
21	जौनपुर	18:39	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
22	अम्बेडकरनगर	18:33	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
23	गोण्डा	18:33	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
24	लखीमपुरखीरी	18:33	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
25	शाहजहांपुर	18:33	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
26	सीतापुर	18:33	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
27	बहराइच	18:38	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
28	बाराबंकी	18:38	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
29	बदायूँ	18:38	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
30	पीलीभीत	18:38	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
31	उन्नाव	18:38	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
32	अमेठी	18:28	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
33	हरदोई	18:28	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
34	रायबरेली	18:28	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
35	श्रावस्ती	18:28	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
36	बलरामपुर	18:35	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
37	बरेली	18:35	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
38	अयोध्या	18:35	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-

एस० एल० डी० सी० स्तर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय में औसत विद्युत आपूर्ति के घण्टे (जून 2025)

क्रम सं०	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र (निर्धारित 18:00 घण्टे)		नगर पंचायत मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24:00 घण्टे)	
		आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे
39	लखनऊ	18:35	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
40	सुल्तानपुर	18:35	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
41	आगरा	18:28	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
42	ओरेया	18:28	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
43	फिरोजाबाद	18:28	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
44	कानपुर	18:28	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
45	इटावा	18:35	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
46	हाथरस	18:35	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
47	कासगंज	18:35	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
48	मथुरा	18:35	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
49	अलीगढ़	18:29	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
50	फर्रुखाबाद	18:29	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
51	मैनपुरी	18:29	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
52	एटा	18:32	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
53	कानपुर देहात	18:32	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
54	कन्नौज	18:32	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
55	अमरोहा	18:29	-	21:40	-	21:41	-	24:00	-
56	बिजनौर	18:29	-	21:40	-	21:41	-	24:00	-
57	रामपुर	18:36	-	21:40	-	21:41	-	24:00	-
58	सम्मल	18:36	-	21:40	-	21:41	-	24:00	-
59	मुरादाबाद	18:36	-	21:40	-	21:41	-	24:00	-
60	सहारनपुर	18:29	-	21:40	-	21:41	-	24:00	-
एन०सी०आर० क्षेत्र (निर्धारित 24:00 घण्टे)									
61	गौतमबुद्धनगर	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
62	हापुड़	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
63	मुजफ्फरनगर	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
64	शामली	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
65	बागपत	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
66	बुलन्दशहर	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
67	गाजियाबाद	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
68	मेरठ	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
बुन्देलखण्ड क्षेत्र (ग्रामीण निर्धारित 20:00 घण्टे)									
69	हमीरपुर	20:13	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
70	महोबा	20:13	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
71	चित्रकूट	20:13	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-

एस० एल० डी० सी० स्तर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय में औसत विद्युत आपूर्ति के घण्टे (जून 2025)

क्रम सं०	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र (निर्धारित 18:00 घण्टे)		नगर पंचायत मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24:00 घण्टे)	
		आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे
72	बान्दा	20:13	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
73	झांसी	20:13	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
74	जालौन	20:13	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
75	ललितपुर	20:13	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-

एस० एल० डी० सी० स्तर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय में औसत विद्युत आपूर्ति के घण्टे (जुलाई 2025)

क्रम सं०	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र (निर्धारित 18:00 घण्टे)		नगर पंचायत मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24:00 घण्टे)	
		आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे
1	प्रयागराज	18:15	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
2	बलिया	18:15	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
3	देवरिया	18:15	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
4	वाराणसी	18:15	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
5	कुशीनगर	18:15	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
6	भद्रोही	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
7	गाजीपुर	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
8	मऊ	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
9	सन्तकबीर नगर	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
10	सोनभद्र	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
11	आजमगढ़	18:16	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
12	कौशाम्बी	18:16	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
13	महाराजगंज	18:16	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
14	सिद्धार्थनगर	18:16	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
15	प्रतापगढ़	18:16	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
16	बस्ती	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
17	चन्दौली	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
18	फतेहपुर	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
19	गोरखपुर	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
20	मिर्जापुर	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
21	जौनपुर	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
22	अम्बेडकरनगर	18:14	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
23	गोण्डा	18:14	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
24	लखीमपुरखीरी	18:14	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
25	शाहजहांपुर	18:14	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
26	सीतापुर	18:14	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
27	बहराइच	18:20	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
28	बाराबंकी	18:20	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
29	बदायू	18:20	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
30	पीलीभीत	18:20	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
31	उन्नाव	18:20	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
32	अमेठी	18:17	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
33	हरदोई	18:17	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
34	रायबरेली	18:17	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
35	श्रावस्ती	18:17	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
36	बलरामपुर	18:16	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
37	बरेली	18:16	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
38	अयोध्या	18:16	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-

एस० एल० डी० सी० स्तर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय में औसत विद्युत आपूर्ति के घण्टे (जुलाई 2025)

क्रम सं०	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र (निर्धारित 18:00 घण्टे)		नगर पंचायत मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24:00 घण्टे)	
		आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे
39	लखनऊ	18:16	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
40	सुल्तानपुर	18:16	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
41	आगरा	18:16	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
42	औरेया	18:16	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
43	फिरोजाबाद	18:16	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
44	कानपुर	18:16	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
45	इटावा	18:13	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
46	हाथरस	18:13	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
47	कासगंज	18:13	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
48	मथुरा	18:13	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
49	अलीगढ़	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
50	फर्रुखाबाद	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
51	मैनपुरी	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
52	एटा	18:20	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
53	कानपुर देहात	18:20	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
54	कन्नौज	18:20	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
55	अमरोहा	18:17	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
56	बिजनौर	18:17	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
57	रामपुर	18:22	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
58	सम्पल	18:22	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
59	मुरादाबाद	18:22	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
60	सहारनपुर	18:17	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
एन०सी०आर० क्षेत्र (निर्धारित 24:00 घण्टे)									
61	गौतमबुद्धनगर	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
62	हापुड़	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
63	मुजफ्फरनगर	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
64	शामली	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
65	बागपत	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
66	बुलन्दशहर	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
67	गाजियाबाद	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
68	मेरठ	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
बुन्देलखण्ड क्षेत्र (ग्रामीण निर्धारित 20:00 घण्टे)									
69	हमीरपुर	20:03	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
70	महोबा	20:03	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
71	चित्रकूट	20:03	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
72	बान्दा	20:07	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
73	झांसी	20:07	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-

एस० एल० डी० सी० स्तर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय में औसत विद्युत आपूर्ति के घण्टे (जुलाई 2025)

क्रम सं०	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र (निर्धारित 18:00 घण्टे)		नगर पंचायत मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24:00 घण्टे)	
		आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे
74	जालौन	20:07	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
75	ललितपुर	20:07	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
